

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या: 198 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 312)

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|------|---|
| 1. कुलवन्त सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। | | 1. जसपाल कौर पत्नी गुरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| 2. हरबन्स सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। | | 2. शेर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| 3. जसवन्त सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। | | 3. सरवन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| 4. गुरदीप कौर पत्नी जंग सिंह जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। | | 4. टेक सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 5. देवेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 6. सुच्चा सिंह पुत्र धुल्ला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 7. करनजीत कौर पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 8. नरमजीत कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। |
| | | 9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर। |

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.10.2024

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

—निर्णय—

दिनांक: 27.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्मत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 13/09 में मुरब्बा नम्बर 64, 65 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 14/10 के मुरब्बा नम्बर 64, 65 की 2.562 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 55 की 6.200, खाता संख्या 20/15 के मुरब्बा नम्बर 3, 63, 85/36 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 55/48 के मुरब्बा नम्बर 62, 66, 85/30 की कुल 3.744 हैक्टेयर, खाता संख्या 91/84 के मुरब्बा नम्बर 66, 85/40 की कुल 3.428 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारा अनुसार वादीगण अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने-अपने नाम की भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप वाहमी विभाजन अवश्य कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में भिन्न भूमि पक्षकारान के नाम से दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार सहमति से बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्मत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 13/09 में मुरब्बा नम्बर 64, 65 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 14/10 के मुरब्बा नम्बर 64, 65 की 2.562 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 55 की 6.200, खाता संख्या 20/15 के मुरब्बा नम्बर 3, 63, 85/36 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 55/48 के मुरब्बा नम्बर 62, 66, 85/30 की कुल 3.744



श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

हैक्टेयर, खाता संख्या 91/84 के मुरब्बा नम्बर 66, 85/40 की कुल 3.428 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण का बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काशतकार है। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 13/09 में मुरब्बा नम्बर 64, 65 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 14/10 के मुरब्बा नम्बर 64, 65 की 2.562 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 55 की 6.200, खाता संख्या 20/15 के मुरब्बा नम्बर 3, 63, 85/36 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 55/48 के मुरब्बा नम्बर 62, 66, 85/30 की कुल 3.744 हैक्टेयर, खाता संख्या 91/84 के मुरब्बा नम्बर 66, 85/40 की कुल 3.428 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण कुलवन्त सिंह, हरबन्स सिंह, जसवन्त सिंह, गुरदीप कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।
4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 46 एफ, पटवार हल्का 46 एफ मौडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के अनुसार खाता संख्या 13/09 में मुरब्बा नम्बर 64, 65 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 14/10 के मुरब्बा नम्बर 64, 65 की 2.562 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 55 की 6.200, खाता संख्या 20/15 के मुरब्बा नम्बर 3, 63, 85/36 की कुल 2.561 हैक्टेयर, खाता संख्या 55/48 के मुरब्बा नम्बर 62, 66, 85/30 की कुल 3.744 हैक्टेयर, खाता संख्या 91/84 के मुरब्बा नम्बर 66, 85/40 की कुल 3.428 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

| क्र. स. | नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत | राजस्व ग्राम | मु.न. | किला न. | रकबा | किस्म | लगान रुपए में |
|---------|--|--------------|-------|----------|----------------|-------|---------------|
| 1 | कुलवन्त सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (4.090 हैक्टेयर) | 46 एफ | 63 | 11 | 0.063 हैक्टेयर | नहरी | 0.56 |
| | | | | 12,13,14 | 0.759 हैक्टेयर | नहरी | 6.75 |
| | | | | 15 | 0.228 हैक्टेयर | नहरी | 2.03 |
| | | | 66 | 4 | 0.228 हैक्टेयर | नहरी | 2.03 |
| | | | | 5 | 0.228 हैक्टेयर | नहरी | 2.03 |

श्री गंगानगर
उपसंग्रह अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------|----------------|-----------|-------|
| | | | | 6,7 | 0.506 हैक्टेयर | नहरी | 4.50 |
| | | | | 13 | 0.093 हैक्टेयर | नहरी | 0.83 |
| | | | | 14/1 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 15/1 | 0.139 हैक्टेयर | नहरी | 1.24 |
| | | | | 15/2 | 0.101 हैक्टेयर | नहरी | 0.90 |
| | | | | 16 | 0.253 हैक्टेयर | नहरी | 2.25 |
| | | | | 17/1 | 0.202 हैक्टेयर | नहरी | 1.80 |
| | | | | 17/2 | 0.026 हैक्टेयर | नहरी | 0.23 |
| | | | | 18/1 | 0.088 हैक्टेयर | नहरी | 0.78 |
| | | | | 18/2 | 0.152 हैक्टेयर | नहरी | 1.35 |
| | | | | 23, 24 | 0.506 हैक्टेयर | नहरी | 4.50 |
| | | | | 25 | 0.190 हैक्टेयर | नहरी | 1.69 |
| | | 85/40 | | | 0.088 हैक्टेयर | गै.मु.खा. | 0.00 |
| 2 | हरबन्स सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (4.089 हैक्टेयर) | 46 एफ | 64 | 1, 2 | 0.506 हैक्टेयर | नहरी | 4.50 |
| | | | | 3 | 0.190 हैक्टेयर | नहरी | 1.69 |
| | | | | 4 | 0.063 हैक्टेयर | नहरी | 0.56 |
| | | | | 9 | 0.063 हैक्टेयर | नहरी | 0.56 |
| | | | 66 | 10 | 0.147 हैक्टेयर | नहरी | 1.31 |
| | | | | 1 | 0.228 हैक्टेयर | नहरी | 2.03 |
| | | | | 2 | 0.228 हैक्टेयर | नहरी | 2.03 |
| | | | | 3 | 0.228 हैक्टेयर | नहरी | 2.03 |
| | | | | 8 ता 12 | 1.265 हैक्टेयर | नहरी | 11.25 |
| | | | | 13 | 0.160 हैक्टेयर | नहरी | 1.42 |
| | | | | 19 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 20 | 0.253 हैक्टेयर | नहरी | 2.25 |
| | | | | 21/1 | 0.177 हैक्टेयर | नहरी | 1.57 |
| | | | | 21/2 | 0.063 हैक्टेयर | नहरी | 0.56 |
| | | | | 22/1 | 0.037 हैक्टेयर | नहरी | 0.33 |
| | | | | 22/2 | 0.190 हैक्टेयर | नहरी | 1.69 |
| | | | 88/30 | | 0.051 हैक्टेयर | गै.मु.खा. | 0.00 |
| 3 | जसवन्त सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (4.089 हैक्टेयर) | 46 एफ | 64 | 10 | 0.043 हैक्टेयर | नहरी | 0.38 |
| | | | 65 | 1 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 2 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 3 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 4 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 5 | 0.240 हैक्टेयर | नहरी | 2.13 |
| | | | | 6,7,8 | 0.759 हैक्टेयर | नहरी | 6.75 |
| | | | | 9 ता 13 | 1.265 हैक्टेयर | नहरी | 11.25 |
| | | | | 14 | 0.190 हैक्टेयर | नहरी | 1.69 |
| | | | | 15 | 0.063 हैक्टेयर | नहरी | 0.56 |
| | | | | 18/1 | 0.032 हैक्टेयर | नहरी | 0.28 |
| | | | | 18/2 | 0.031 हैक्टेयर | नहरी | 0.28 |
| | | | | 19 | 0.190 हैक्टेयर | नहरी | 1.69 |
| | | | | 20 | 0.253 हैक्टेयर | नहरी | 2.25 |
| | | | | 21 | 0.063 हैक्टेयर | नहरी | 0.56 |

शेष खाते एवं रहन बदस्तूर रहेंगे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिफ्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्रीकल्याण सिंह} (आ.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पट्टेन सुपरव्हाइजर
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर)

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इंजलास सुनाया गया।

{श्रीयोराम} (आ.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पट्टेन सुपरव्हाइजर
श्रीकरणपुर (श्रीकरणपुर)